—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 09/12/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251—क रा.का.अधि. अप्रार्थीगण के विरूद्व अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 3 एनएसडब्लयू के खाता सं. 2 के प.नं. 53/340 के किला नं. 6 ता 9 की 1.012 हैक., खाता सं. 3 के प.नं. 53/340 के किला नं. 12/2, 13/2 की 0.480 हैक., खाता सं. 4 के प.नं. 53/340 के किला नं. 12/1, 13/1, 14, 15 की 0.532 हैक. कमाण्ड मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के पति व अप्रार्थी सं. 2—3 के पिता केसराराम पुत्र हरीराम के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 3 एनएसडब्लयू के खाता सं. 11 के प.नं. 53/340 के किला नं. 1, 10, 11, 20 की 1.012 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति, पिता केसराराम व प्रार्थी के भाई के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एनएसडब्लयू के खाता सं. 38 के प.नं. 53/340 के किला नं. 21/1, 21/2 की 0.177 हैक. मे से प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/6 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 ता 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थी व प्रार्थी के भाई केसराराम के पिता हरीराम पुत्र हुकमाराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। पिता श्री हरीराम द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने नाम वर्णित कृषि भूमि का अपने पुत्रों के मध्य काश्त एवं रास्ता की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा कर दिया और घरू बंटवारा मे प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी को प्राप्त हुई व प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति, पिता केसराराम को प्राप्त हुई तथा प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि काश्त मे सभी पुत्रों की भूमि के एवज मे रास्ता के बदले अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति, पिता को दी गई और इसी घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी के पिता द्वारा अपने पुत्रों के हक मे वसीयत तहरीर व निष्पादित करवा दी। पिता श्री हरीराम के देहान्त के पश्चात मुताबिक घरू बंटवारा एवं वसीयत अनुसार राजस्व अभिलेख मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पति, पिता केसराराम नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज हुई। चक 3 एनएसडब्लयू के प.नं. 53/339 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक. रास्ता चला आ रहा है जो कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति, पिता केसराराम की भूमि तक आकर रूक जाता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 के पति, पिता केसराराम परिवार मे छोटा बेटा होने के कारण से पिता हरीराम के जीवनकाल मे ही प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि दी गई और उनकी भूमि मे से प.नं. 53/340 के किला नं. 1 मे उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम लम्बा व पूर्वी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता व किला नं. 10 मे पूर्वी उत्तरी कुंटाउ मे रास्ता प्रार्थी की भूमि मे आवगमन हेतू छोडा गया जो मौका पर चल रहा है तथा अप्रार्थीगण को रास्ता की एवज मे भूमि प्रार्थी के हक व हिस्सा की संयुक्त खाता मे प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित भूमि काश्त हेतू दी गई जो वर्तमान मे भी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के कब्जा काश्त मे है। वर्तमान राजस्व अभिलेख मे उक्त रास्ता दर्ज नही होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 उक्त रास्ता को बन्द करने की फिराक मे है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा एवं वैकल्पिक रास्ता नही लगता है इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति, पिता केसराराम की कृषि भूमि चक 3 एनएसडब्लयू के प.नं. 53/340 के किला नं. 1/.030, 10/.001 हैक. रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा रास्ता की एवज मे प्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे से 0.031 हैक. अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज की जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 3 एनएसडब्लयू के प.नं. 53/340 के किला नं. 1/.030 हैक. उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम लम्बा व पूर्वी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण लम्बा, 10/.001 हैक. पूर्वी उत्तरी कुंट मे रास्ता स्वीकृत किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता ने वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित कथन राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र दफा 2 मे वर्णित कथन राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कथन राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित कथन असत्य व मनगढ़त होने से अस्वीकार है, हरीराम के जीवनकाल मे प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 53/340 के किला नं. 1 मे उत्तरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम की ओर किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो छोड़ा गया है और न ही मौका पर चल रहा है केवल मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए झूठे व मनगढ़त तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने व कृषि यन्त्र लाने के लिए अलग से रास्ता दिया गया है उसी रास्ता से आता जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 3 की रजिस्टर्ड नोटिस से तलबी करवाई गई। अप्रार्थी सं. 3 को न्यायालय मे बार–बार अवाजे लगाई गई। न्यायालय मे उपस्थित होने पर अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

प्रकरण मे तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार सं. 695 दिनांक 28.10.2025 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मे से किला नं. 1 मे चालू है तथा उत्तर से दक्षिण व किला नं. 10 मे चालू नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते मे आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा उस भूमि मे पूर्व मे कोई स्वीकृतशुदा रास्ता लगता नही है। प्रार्थ द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता नही लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है।

वहस उभय पक्ष सुनी गई। वहस मे प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन कि प्रार्थी की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1, 3 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया जावे और रप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 3 के नाम वर्णित इसी चक के इसी मुरब्बा के किला नं. 21/1, 21/2 मे से प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की भूमि रास्ता के एवज मे अप्रार्थी सं. 1, 3 को देने के लिए तैयार एवं तत्पर है इस पर अप्रार्थी सं. 1, 3 ने सहमति प्रकट करते हुये यदि प्रार्थी द्वारा रास्ता के एवज मे भूमि दी जाती है तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों, शपथ पत्र एवं तहसीलदार पीलीवंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार पीलीवंगा रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीवंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा के वाद तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सं. 1–3 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 3 एनएसडब्लयू के प.नं. 53/340 के किला नं. 1/.030 हैक. उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम लम्बा व पूर्वी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण लम्बा, 10/.001 हैक. पूर्वी उत्तरी कुंट मे रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता के एवज मे चक 3 एनएसडब्लयू के खाता सं. 38 के प.नं. 53/340 के किला नं. 21/1, 21/2 कुल 0.177 हैक. मे प्रार्थी के 1/3 हिस्सा मे से 0.031 हैक. अप्रार्थी सं. 1 व 3 को ब.हि.ब. दी जाती है। शेष हिस्सा प्रार्थी का वदस्तुर रखा जाता है। आदेशों की पालना मे तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता व भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे दिनांक 9/12/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा